

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:- प. 9(1)पद सृजन/गृह-10/2019

जयपुर, दिनांक 09.02.2022

आदेश

इस विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 14.05.2020 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत गठित विशेष न्यायालयों यथा सीकर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, चूरु एवं जालौर जिलों में अभियोजन सेवा के विशेष (विशिष्ट)लोक अभियोजक (सहायक निदेशक अभियोजन) के पद सृजित किये थे।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत गठित विशेष न्यायालयों यथा सीकर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, चूरु एवं जालौर में विशेष (विशिष्ट)लोक अभियोजक के कार्यालयों में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का 01-01 पद कुल 05 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 01-01 पद कुल 05 पद योग 10 पदों के सृजन किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-4) विभाग कि आई.डी.संख्या 102106230 दिनांक 04.02.2022 के द्वारा सहमति प्राप्त कर जारी की जा रही है।

अभियोजन विभाग उक्त पदों को IFMS पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,




(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक, कार्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
6. जिला कलक्टर सीकर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, चूरु एवं जालौर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय- IV) विभाग।
8. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
9. विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत गठित विशेष न्यायालय सीकर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, चूरु एवं जालौर।
10. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
11. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
12. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
13. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (विधि)